HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2313/2022

Seema Wife of Ramkaran, Aged about 35 Years, Resident of Village Bridakchiyawas, Police Station Mangaliyawas, District Ajmer.

----Claimant/Appellant

Versus

1. Sher Mohammed Son of Nathu Shah, Resident of 172, Keero Ka Baas, Main Bazar Bar, Tehsil Raipur, District Pali (Raj.). (Driver Bolero No. RJ-22-TA-1317).
2. Nathu Shah Son of Raham Shah, Resident of Main Bazar Bar, Tehsil Raipur, District Pali (Raj.).
(Owner Bolero No. RJ-22-TA-1317).
3. United India Insurance Company Limited, Having its division office at opposite SBBJ, RIICO Industrial Area, Parwatpura, Ajmer having its Regional office at Vishal Chambers, Tonk Road, Jaipur, through its Regional Manager (Insurer-Bolero RJ-22-TA-1317)

----Non-Claimant/Respondents

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2299/2022

Bheru Lal Son of Shyoji, Aged about 63 Years, Resident of Village Bridakchiyawas, Police Station Mangaliyawas, District Ajmer.

----Claimant/Appellant

Versus

1. Sher Mohammed Son of Nathu Shah, Resident of 172, Keero Ka Baas, Main Bazar Bar, Tehsil Raipur, District Pali (Driver Bolero No. RJ-22-TA-1317)
2. Nathu Shah Son of Raham Shah, Resident of Main Bazar Bar, Tehsil Raipur, District Pali (Owner Bolero No. RJ-22-TA-1317)
3. United India Insurance Company Limited, Having Its Division office at opposite SBBJ, RIICO Industrial Area, Parwatpura, Ajmer Having Its Regional Office At Vishal Chambers, Tonk Road, Jaipur Through Its Regional Manager (Insurer-Bolero RJ-22-TA-1317)

----Non-Claimant/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Vinay Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manish Parashar, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

13/05/2026

1. अपीलार्थिया श्रीमती सीमा की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—2313/2022** एवं अपीलार्थी भैंरूलाल की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—2299/2022,** दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर, राज0 (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या—354/2019, श्रीमती सीमा बनाम शेर मौहम्मद व अन्य** तथा **क्लेम याचिका संख्या—353/2019, भैंरूलाल बनाम शेर मौहम्मद व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थिया श्रीमती सीमा की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 28,50,000/— रुपये तथा अपीलार्थी भैंरूलाल द्वारा स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 28,90,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिकाएं प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपीलार्थिया श्रीमती सीमा को कुल 80,850/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तथा अपीलार्थी भैंरूलाल को कुल 63,400/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 9 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थिया श्रीमती सीमा की ओर से **सिविल विविध अपील संख्या—2313/2022** एवं

अपीलार्थी भैंरूलाल की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2299/2022,** विद्वान अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. **सिविल विविध अपील संख्या–2313/2022** तथा **सिविल विविध अपील संख्या–2299/2022** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थीगण की मासिक आय 5,538/– रूपये (26 दिनों के आधार पर) निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया सीमा खेतीबाड़ी व मजदूरी का कार्य कर 10,000/– रूपये तथा अपीलार्थी भैंरूलाल भवन निर्माण के कारीगर का व खेतीबाडी का कार्य कर 15,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत भी कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/बीमा कम्पनी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आहत भैंरूलाल द्वारा स्वयं मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाया जाकर वाहन बोलेरो को पीछे से टक्कर मारी है, जिससे उक्त दुर्घटना में आहत भैंरूलाल की भी लापरवाही होना जाहिर है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित अपीलों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का व प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

RAJASTHAN HIGH COURT

सिविल विविध अपील संख्या–2313/2022 :–

7. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 12 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र–28 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 23.04.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को 32 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मजदूरी व खेतीबाडी का कार्य कर 10,000/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थिया की ओर से अपनी आय के संबंध में कोई साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 26 दिनों के आधार पर 5,538/– रुपये निर्धारित की है। वक्त घटना अपीलार्थिया गृहिणी थी, जो मजदूरी व खेतीबाडी के अतिरिक्त घर के घरेलू काम काज करती थी, इसलिए घरेलू काम काज करने वाली महिला स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है। इस कारण अपीलार्थिया को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित है। घटना दिनांक 23.04.2019 की होना जाहिर है। घटना के 8 दिन पश्चात दिनांक 01.05.2019 को राजस्थान राज्य में वर्ष 2019 की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित की गई थी। अतः उक्त नवीन दरों के आधार पर वक्त घटना कुशल श्रमिक की दैनिक आय 249/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 7,470/– रूपये (30 दिनों के आधार पर) निर्धारित किया जाना हम उचित समझते है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी नहीं की गयी है। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थिया को 32 वर्ष आयु का होना बताया गया है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 7,470/– रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 7,470/– रुपये का 40 प्रतिशत 2,988/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थिया की कुल मासिक आय 10,458/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में आई चोटों के कारण अपीलार्थिया के स्पाईन में फ्रैक्चर कारित होना जाहिर है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 12 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–28 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 10,458/– रुपये का 12 प्रतिशत 1,255/– रुपये होता है, जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 32 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति 1,255 x 12 x 16 = 2,40,960/– रुपये होती है, जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में 50,000/– रूपये, इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 2,200/– रूपये तथा परिचर्या व्यय व अन्य आनुषांगिक व्यय के मद में 2,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार की मद में 2,500/– रूपये तथा परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में 2,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार व परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में क्रमशः 5,000/– 5,000/– रूपये, कुल 10,000/– रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई चार माह आय की हानि की मद में 22,150/— रूपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाई गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय चार माह की आय की हानि के मद में 7,470x4=29,880/— रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझती है।

13. उपरोक्तानुसार अपीलार्थिया श्रीमती सीमा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं:—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	2,40,960/— रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य की सुख—सुविधा की कमी के मद में	50,000/— रूपये
3.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	2,200/— रुपये
4.	परिचर्या व अन्य आनुषांगिक व्यय की मद में	2,000/— रुपये
5.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/— रूपये
6.	परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000/— रूपये
7.	4 माह की आय की हानि के मद में	29,880/— रूपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	3,35,040/— रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	80,850/— रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	2,54,190/— रुपये

<u>सिविल विविध अपील संख्या—2299/2022 :—</u>

14. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 9 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श—9 के अवलोकन से स्पष्ट है। मामले की घटना दिनांक 23.04.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 60 वर्ष की आयु का होना बताते हुए भवन निर्माण के कारीगर का कार्य व खेतीबाड़ी का कार्य कर 15,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से अपनी आय के संबंध में कोई साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इन

परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 26 दिनों के आधार पर आय 5,538/– रुपये निर्धारित कर उसे एकमुश्त 22,150/– रूपये की राशि दिलवाई गई है। जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते हैं। घटना दिनांक 23.04.2019 की होना जाहिर है। घटना के 8 दिन पश्चात दिनांक 01.05.2019 को राजस्थान राज्य में वर्ष 2019 की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित की गई थी। अतः उक्त नवीन दरों के आधार पर वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 249/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 7,470/– रूपये (30 दिनों के आधार पर) निर्धारित किया जाना हम उचित समझते है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 71 वर्ष निर्धारित की गई है। अपीलार्थी वक्त घटना 71 वर्षीय स्वनियोजित व्यवसायी था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में केवलमात्र 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों की निर्धारित आय पर ही भविष्य वृद्धि लागू किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की 71 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय में कोई भविष्य वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल मासिक आय 7,470/– रुपये ही क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

15. हस्तगत दुर्घटना में आई चोटों के कारण दांये पैर की टीबिया व फीबूला हड्डी में फ्रैक्चर होना जाहिर है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 9 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–19 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 7,470/– रुपये का 9 प्रतिशत 672/– रुपये होता है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 71 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला**

वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 5 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति 672 x 12 x 5 = 40,320/- रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में संयुक्त रूप से 40,000/- रूपये, इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 3,000/- रूपये तथा 16 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 9,600/- रूपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त मदों में दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 2,500/- रूपये तथा परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में 2,000/- रूपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को पौष्टिक आहार व परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में क्रमशः 5,000/- 5,000/- रूपये, कुल 10,000/- रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई चार माह आय की हानि की मद में 22,150/- रूपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अपीलार्थी को चार माह की आय की हानि के मद में 7,470x4=29,880/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. विद्वान अधिकरण ने मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन चालक की गलती मानते हुए दुर्घटना कारित करना बताया है। किन्तु अपीलार्थी/आहत

भैंरूलाल का वक्त घटना वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस के बिना वाहन का चालन किए जाने के कारण आहत की 20 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि में 20 प्रतिशत की कटौती कर ली है।

20. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Sudhir Kumar Rana Vs. Surinder Singh,** reported in **(2008) 12 S.C.C. 436** का अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि:-

> "09- If a person drives a vehicle without a licence, he commits an offence. The same, by itself, in our opinion, may not lead to a finding of negligence as regards the accident. It has been held by the courts below that it was the driver of the mini-truck which was being driven rashly and negligently. It is one thing to say that the appellant was not possessing any licence but no finding of fact has been arrived at that he was driving the two-wheeler rashly and negligently. If he was not driving rashly and negligently which contributed to the accident, we fail to see as to how, only because he was not having a licence, he would be held to be guilty of contributory negligence.
> 10. The matter might have been different if by reason of his rash and negligent driving, the accident had taken place."

21. अतः उक्त प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम यह पाते हैं कि वक्त घटना आहत के पास मोटरसाईकिल चलाते वक्त वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होना मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों में कोई अपराध हो सकता है, किन्तु ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होना अपने आप में योगदायी उपेक्षा का प्रमाण नहीं हो सकता। अतः विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी/आहत भैंरूलाल की योगदायी उपेक्षा मानते हुए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में योगदायी उपेक्षा के संबंध में 20 प्रतिशत राशि की जो कटौती की है, उसे हम त्रुटिपूर्ण होना पाते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/आहत की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं मानी जा सकती है। अतः इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि, अपीलार्थी भैंरूलाल प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

22. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी भैंरूलाल निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं:—

क्रम सं.	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	40,320 / — रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य की सुख—सुविधा की कमी के मद में	40,000 / — रूपये
3.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	3,000 / — रुपये
4.	16 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	9,600 / — रुपये
5.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000 / — रूपये
6.	परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000 / — रूपये
7.	4 माह की आय की हानि के मद में	29,880 / — रूपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	1,32,800 / — रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	63,400 / — रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	69,400 / — रुपये

23. तदनुसार अपीलार्थिया श्रीमती सीमा की ओर से संस्थित की गई **सिविल विविध अपील संख्या—2313 / 2022,** आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया को 80,850 / — रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 3,35,040 / — रूपये का पंचाट पारित किया जाता है तथा अपीलार्थी भैंरूलाल द्वारा संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या—2299 / 2022,** आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 63,400 / — रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 1,32,800 / — रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशियों पर नियमानुसार आयकर कटौतियां की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

24. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण श्रीमती सीमा व भैंरूलाल को क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज, याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक

की दर से दिलवाया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

25. तद्नुसार यह अपीलें निस्तारित की जाती है।

26. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को लौटाया जावे।

27. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /11-12